न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **50/2012** आवंटन निरस्ती

1. श्री चतरसिंह पिता श्री हरलाल सिह जी राव निवासी मेडता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री कबीर सत्संग आश्रम जरिये व्यवस्थापक श्री मित्रदास पिता श्री रामस्वरूप दास कबीर, निवासी बजाज नगर, नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती बसंती बाई धर्मपत्नि श्री गेगराजजी ब्राहम्ण, निवासी अडवाणिया, चन्देसरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0)
3. श्रीमती शांतादेवी धर्मपत्नी श्री विजय कुमार बंजारा निवासी बंजारों का खेडा, सीमेन्ट फेक्ट्री के पास, नाहरमगरा तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0)
4. श्रीमती राधीबाई पत्नी श्री पृथ्वीराज जी भाट (राव) निवासी झंझेला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री महावीर पिता स्व. श्री शांतिलाल जी सिंघटवाडिया, निवासी सिंघटवाडियों की सेहरी, उदयपुर
6. श्री मुकेश पिता श्री लक्ष्मीलाल जी मुन्दडा, निवासी देहली गेट, उदयपुर
7. श्रीमती मंजु पत्नी श्री महावीर सिंघटवाडिया (जैन) निवासी सिंघटवाडियों की सेहरी, उदयपुर
8. श्रीमती लता पत्नी श्री दिनेश माहेश्वरी, निवासी प्रतापनगर चित्तौडगढ राजस्थान
9. भूमिधारी तहसीलदार जी मावली, तहसील मावली जिला उदयपुर राजस्थान

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवन्टन) नियम 1970

उपस्थितः 1. श्री महेश भट्ट, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मनीष मोगरा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 5 व 6

निर्णय

दिनांकः—10.01.2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया

हैं कि मौजा नाहरमगरा तहसील मावली के बिलानाम आराजी नं. 4043/1798 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने से सम्पूर्ण भूमि को आवंटन कराने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु उक्त भूमि में से 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि ही आवंटित की गई, जो राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये। प्रार्थी के नाम आराजी नं. 4940/4043 राजस्व जमाबन्दी में दर्ज हुई। बकाया भूमि 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर कब्जा तो प्रार्थी का ही रहा, परन्तु उसे आवंटित नहीं हुई। वर्तमान शहर के कुछ लोगों की आवाजाही बढ गई। जिस पर प्रार्थी द्वारा प्रयोजन जानना चाहा तो बताया गया कि यह जमीन बिक गई है और खरीददारों का खाता भी हो गया है। खरीददारों को कब्जा नहीं मिला वो लेने आये है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि यह भूमि विपक्षी सं. 1 को आवंटित होकर उनके द्वारा विपक्षी सं. 2 व 3 को बेच दी गई है। विपक्षी सं. 2 व 3 द्वारा भी यह भूमि विपक्षी सं. 4 को बेच दी है। विपक्षी सं. 4 के द्वारा भी विपक्षी सं. 5 से 8 को विक्रय कर दी है। विपक्षी सं. 1 के पक्ष में किये गये आवंटन से पीडित एवं व्यथित होकर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विपक्षी सं. 1 कृषक नहीं है। फिर भी उसे कृषक मानकर उन नियमों के तहत राजकीय कृषि भूमि आवंटित कर दी गई, जो नियम भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटन हेतु बनाये गये है। विपक्षी सं. 1 का इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा, न ही कभी काश्त की। उसके द्वारा चुपचाप विपक्षी सं. 2 व 3 को बेच दी। जिन्होने भी 4 को बेच दी। विपक्षी सं. 4 द्वारा भी 5 से 8 को विक्रय कर दी। जबकि मौके पर न तो मूल आवंटी और न उसके किसी भी हस्तान्तरित का आजदिन तक कब्जा ही रहा है। इस तरह विपक्षी सं. 1 का प्रतिनिधि भूमि व्यवसाय में लग गया और भूमि को कागजो में ही बेच कर गायब हो गया। विपक्षी सं.1 अपंजीकृत संस्था होने के साथ–साथ अप्राकृतिक व्यक्ति है। अप्राकृतिक व्यक्ति को भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। किया गया आवंटन विधि विरूद्ध है। ऐसा आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य, अवैध एवं क्षैत्राधिकार विहीन है। आवंटी द्वारा आवंटन नियमो की पालना नहीं की। वह भूमिहीन कृषक नहीं है। उसे खातेदारी अधिकार भी गलत ढंग से दिये गये है। इस कारण खातेदारी अधिकार मिलने के बावजूद आवेदक की ओर से लगाया गया यह प्रार्थनापत्र गुणावगुण होने पर स्वीकार योग्य है। सम्पूर्ण भूमि आवेदक को आवंटन किये जाने में कोई कानूनी रूकावट नहीं थी, परन्तु विपक्षी सं. 1 को चुपचाप आवंटन कर दिया गया। उसके कागजात देखने की आवश्यकता नहीं समझी गई। धार्मिक एवं परमार्थ उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। विपक्षी सं. 1 ने यह आवंटन मिसरिप्रजेटेशन से प्राप्त किया है। विपक्षी सं. 1 के आवंटन की सही जांच की जाती तो उसका आवंटन वही खारीज हो जाता। विपक्षी सं.1 को किसी तरह का कोई अधिकार आवंटित भूमि में प्राप्त नहीं होता तो

उसके पास आवंटित भूमि में ऐसा कोई अधिकार निहित नहीं था कि जिसे वह आगे हस्तान्तरित कर सके। इस कारण आवंटन के साथ तमाम पश्चातवर्ती नामान्तकरण जो इस भूमि बाबत विपक्षी सं. 1 से 8 के पक्ष में खोले गये है वह सभी नामान्तकरण भी परिणामतः निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं.1 के पक्ष में आवंटित भूमि 3 बीघा 18 बिस्वा का आवंटन निरस्त करवाकर प्रार्थी के पक्ष में आवंटन किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 से 4 की तामील जरिये अखबार से करवायी गई। उसके बावजुद भी अनुपस्थित रहे हैं। अतः विपक्षी सं. 1 से 4 के विरूद्ध दिनांक 02.12.19 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विपक्षी संख्या 5 से 8 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है।

विपक्षी संख्या 5 से 8 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया गया है कि दिनांक 18.07.85 से पहले वर्णित आराजीयात बिलानाम सरकार थी। तत्पश्चात आवंटन से निजी खातेदारी की। अब आवासीय रूपान्तरित भूमि के रूप में है। 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि विपक्षी सं.1 के नाम दिनांक 18.07.85 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई, उस दिनांक से विपक्षी का कब्जा होकर नियमानुसार विपक्षी सं.1 को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये। जिस पर विपक्षी सं. 1 काश्त करता रहा । प्रार्थी का विपक्षी सं.1 की भूमि व पश्चातवर्ती क्रेतागण की भूमि पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी अनुचित लाभ अर्जन करने की दुर्भावना से प्रार्थनापत्र में मिथ्या तथ्य अंकित कर गलत प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। विपक्षी सं. 5 से 8 ने उक्त आराजीयात विपक्षी सं. 4 से क्रय की तब से उक्त आराजीयात पर स्वामीत्व व आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि का दिनांक 09.11.12 को आबादी में परिवर्तन करा विपक्षी सं. 5 से 8 के नाम पर पट्टे जारी हो चुके है। चूंकि उक्त भूमि आबादी में परिवर्तित हो जाने से इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय आप को नही होकर सिविल न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मेन्टेनेबल नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में आवटन का गलत विवेचन किया गया है। यह भूमि मित्रदास को व्यक्तिगत रूप से आवंटित की गई है। कभी सत्संग आश्रम के आगे जरिये अंकित नहीं है। प्रार्थी वैरागी जाति से होकर कबीर उपनाम है। प्रार्थी प्राकृतिक व्यक्ति है। आवंटन कमेटी द्वारा पूर्ण जांच कर ही भूमि का आवंटन किया गया है। मित्रदास द्वारा भूमि को विकसित किया गया। विपक्षी सं. 1 को 28 वर्ष से अधिक लम्बे समय पूर्व ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। प्रार्थी द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं कर जब भूमि अन्य खातेदारो के नाम दर्ज हो गई, तब लम्बे अंतराल के बाद प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा उत्तरदाता को ब्लेकमेल

करते हुए कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में विपक्षी सं. 5 से 8 का उक्त भूमि पर स्वामित्व एवं आधिपत्य होकर भूमि की किस्म परिवर्तन हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की दुर्भावना से गलत एवं मिथ्या तथ्य अंकित कर विपक्षीगण को परेशान करने की दुर्भावना से उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया जो किसी तरह से कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 का आवंटन एक ही दिन को हुआ। आवंटन के 28 वर्ष बाद प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जो बैरून मयाद होने से खारीज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जाये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा नाहरमगरा तहसील मावली के बिलानाम आराजी नं. 4043/1798 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने से सम्पूर्ण भूमि को आवंटन कराने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु उक्त भूमि में से 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि ही आवंटित की गई, जो राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये। प्रार्थी के नाम आराजी नं. 4940/4043 राजस्व जमाबन्दी में दर्ज हुई। बकाया भूमि 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर कब्जा तो प्रार्थी का ही रहा, परन्तु उसे आवंटित नहीं हुई। वर्तमान शहर के कुछ लोगों की आवाजाही बढ गई। जिस पर प्रार्थी द्वारा प्रयोजन जानना चाहा तो बताया गया कि यह जमीन बिक गई है और खरीददारों का खाता भी हो गया है। खरीददारों को कब्जा नहीं मिला वो लेने आये है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि यह भूमि विपक्षी सं. 1 को आवंटित होकर उनके द्वारा विपक्षी सं. 2 व 3 को बेच दी गई है। विपक्षी सं. 2 व 3 द्वारा भी यह भूमि विपक्षी सं. 4 को बेच दी है। विपक्षी सं. 4 के द्वारा भी विपक्षी सं. 5 से 8 को विक्रय कर दी है। विपक्षी सं. 1 के पक्ष में किये गये आवंटन से पीडित एवं व्यथित होकर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विपक्षी सं. 1 कृषक नहीं है। फिर भी उसे कृषक मानकर उन नियमों के तहत राजकीय कृषि भूमि आवंटित कर दी गई, जो नियम भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटन हेतु बनाये गये है। विपक्षी सं. 1 का इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा, न ही कभी काश्त की। उसके द्वारा चुपचाप विपक्षी सं. 2 व 3 को बेच दी। जिन्होने भी 4 को बेच दी। विपक्षी सं. 4 द्वारा भी 5 से 8 को विक्रय कर दी। जबकि मौक पर न तो मूल आवंटी और न उसके किसी भी हस्तान्तरित का आजदिन तक कब्जा ही रहा है। इस तरह विपक्षी सं. 1 का प्रतिनिधि भूमि व्यवसाय में लग गया और भूमि को कागजो में ही बेच कर गायब हो गया। विपक्षी सं.1 अपंजीकृत संस्था होने के साथ–साथ अप्राकृतिक व्यक्ति है। अप्राकृतिक व्यक्ति को भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। किया गया आवंटन विधि विरूद्ध है। ऐसा आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य, अवैध एवं क्षैत्राधिकार विहीन है। आवंटी द्वारा आवंटन नियमो की पालना नहीं की। वह भूमिहीन कृषक नहीं है। उसे खातेदारी

अधिकार भी गलत ढंग से दिये गये है। इस कारण खातेदारी अधिकार मिलने के बावजूद आवेदक की ओर से लगाया गया यह प्रार्थनापत्र गुणावगुण होने पर स्वीकार योग्य है। सम्पूर्ण भूमि आवेदक को आवंटन किये जाने में कोई कानूनी रूकावट नहीं थी, परन्तु विपक्षी सं. 1 को चुपचाप आवंटन कर दिया गया। उसके कागजात देखने की आवश्यकता नहीं समझी गई। धार्मिक एवं परमार्थ उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। विपक्षी सं. 1 ने यह आवंटन मिसरिप्रजेटेशन से प्राप्त किया है। विपक्षी भूमिहीन काश्तकार नहीं है। विपक्षी का पेशा काश्तकारी नहीं है। उसके प्रार्थनापत्र पर भी आश्रम का कोई इन्द्राज पी–14 में नहीं था। पुरे खसरे का रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा चतरसिंह पिता हरलाल सिंह का कब्जा है। विपक्षी को भूमि का आवंटन राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत किया गया है, जबकि विपक्षी ना तो सद्भावी काश्तकार था, न ही वह भूमिहीन था। विपक्षी सं. 1 एक अपंजीकृत संस्था होने के साथ–साथ एक अप्राकृतिक व्यक्ति है।आवंटन नियमों में अप्राकृतिक व्यक्तियों को भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। केवल प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए ही यह नियम बने हुए है। कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत धार्मिक एवं परामार्थ उद्दश्यों के लिए भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। मगर यह आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं होकर धार्मिक एवं परमार्थ उद्दश्यों के लिए किया गया होकर खारीज योग्य है। विपक्षी सं. 1 को भूमि आवंटन के पश्चात उसके द्वारा इस भूमि को आवंटन नियमों की पालना नहीं करते हुए विपक्षी सं. 2 व 3 को विक्रय कर दी गई। जबकि इस भूमि पर कभी भी विपक्षी सं.1 का कब्जा नहीं रहा, ना ही विपक्षी सं. 2 व 3 का रहा। विपक्षी सं. 2 व 3 द्वारा भी इस भूमि का कागजों में रद्दोबदल कर विपक्षी सं. 4 को विक्रय कर दी। विपक्षी सं.4 द्वारा भी इस भूमि को क्रमशः विपक्षी सं. 5 से 8 को विक्रय कर दी गई। सभी विपक्षीगणों का आवंटित भूमि पर कभी भी आधिपत्य नहीं रहा। नियमों में प्रावधान नहीं होते हुए भी भूमि का आवंटन विपक्षी सं.1 को गलत रूप से कर दिया गया जिससे उसे कोई अधिकार निहीत नहीं था कि वह उसे आगे हस्तान्तरित कर सके। विपक्षी सं.1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। नियमों के तहत यदि आवंटी ने शर्तो के अनुसार भूमि पर काश्त नहीं की हो तो राज्य सरकार द्वारा बिना किसी क्षतिपूर्ति के अपने कब्जे में लिया जा सकता है। विपक्षी सं.1 द्वारा आवंटित भूमि पर निर्धारित समयावधि में काश्त नहीं की है। उसके द्वारा यह भूमि दुरव्यपर्दश से भूमि आवंटन प्राप्त किया गया है। यदि आवंटन आदेश विरूद्ध हो तो खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी अविधिक आवंटन आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अतः विपक्षी सं. 1 का आवंटन खारीज फरमाया जाये।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 5 से 8 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो संलग्न पत्रावली है एवं अधिवक्ता प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी सं.1 को भूमि का आवंटन राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम के तहत आवंटन कमेटी द्वारा किया गया था। आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा दिया गया था। उक्त आवंटन के पश्चात कबीर सत्संग द्वारा हस्तगत भूमि का हस्तान्तरण विपक्षी सं. 2 एवं पश्चातवर्ती क्रम में उक्त भूमि विपक्षी सं.5 से 8 को विक्रय की गई। इस प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात उक्त भूमि का आवासीय रूपान्तरण भी किया जा चुका है। 28 वर्ष बाद आवंटन निरस्त का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नहीं है। विपक्षी सं. 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधित कृषक की परिभाषा में आता है और भूमिही न कृषक होने बाबत तत्कालिन समय में राजस्व अधिकारियों द्वारा पूर्ण जांच करने के उपरान्त ही आवंटन की कार्यवाही की गई। विपक्षी सं. 1 द्वारा भूमि को विपक्षी सं.2 व 3 को विक्रय की गई। भूमि का कृषि भूमि से अकृषि भूमि रूपान्तरण किया गया। भूमि का हस्तान्तरण, नामान्तकरण एवं रूपान्तकरण की समस्त कार्यवाहियों में मौका रिपोर्ट संबंधित कर्मचारियों द्वारा बनायी गई तथा इन कार्यवाहियों में संबंधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा विपक्षी का कब्जा बताया गया। विपक्षी के उक्त भूमि पर विधिवत रूप से कब्जा होने के अनेकानेक प्रमाण है। और विशुद्ध रूप से राजस्व अंकन तथा दस्तावेजी प्रमाण मौजूद है। ऐसी स्थिति में आवंटी पर कब्जा नहीं होना नितान्त रूप से असत्य है। आवंटन के बाद आवंटित भूमि पर कब्जा विपक्षी सं.1 का ही रहा है। प्रार्थी द्वारा अपना कब्जा बताना गलत है। प्रार्थी एवं विपक्षी को भूमि एक ही साथ आवंटन हुई थी। फिर भी उसके द्वारा यह कहना कि मुझे विपक्षी सं. 1 को भूमि का आवंटन होने का ज्ञान नहीं था। उसका यह कथन गलत है। वर्तमान में अनेक कृषि भूमि का हस्तान्तरण, फर्म, संस्था एवं कम्पनी को किया जाता है। उन्हे भी खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 1 को कृषक नहीं मानना गलत है। माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा अनेकानेक न्यायिक दृष्टांत इस हेतु प्रस्तुत किये गये है जिससे कि आवंटन की प्रक्रिया में जब तक कोई छल अथवा मिथ्या जानकारी के आधार पर कार्यवाही किये जाने के पुख्ता आधार नहीं हो तब तक आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात आवंटन निरस्त किये जाने का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य नहीं होता है, बल्कि संबंधित न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर ही अनुतोष चाहा जा सकता है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि आबादी में रूपान्तरित हो चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जाये। अपने कथनो की ताईद में आरआरडी 2018 पेज 479,

आरआरडी 2015 पेज 408, डीएनजे (राज.) 2007(1) पेज 231 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दृष्टंतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली सं. 373/85 उप जिलाधीश वल्लभनगर का अवलोकन किया गया। जिसमें विपक्षी द्वारा भूमि आवंटन हेतु जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें दो प्रकार के पेन से दो नाम लिखे हुए है, जिसमें कबीर सत्संग भवन (आश्रम) एवं विपक्षी द्वारा अपना नाम मित्रदास पिता आचार्य श्री रामस्वरूप साहेबजी व्यवस्थापक जी कबीर सत्संग आश्रम अंकित है एवं हस्ताक्षर में भी मित्रदास कबीर सत्संग आश्रम भवन लिखा हुआ है। पटवारी द्वारा आवेदन पत्र में जो जांच कि गई है, उसमें भी आवेदक के नाम की जगह कबीर आश्रम मित्रदास/रामस्वरूप, कॉलम सं. 3 पेशा क्या है जिसमें आश्रम अंकित है। कॉलम सं. 13 में आश्रम बना है, की रिपोर्ट अंकित की गई है। प्रार्थनापत्र पर दो जांच ओर अंकित है। पहली जांच जो संभवतः भूअभिलेख निरीक्षक की रही है जिसके द्वारा अपनी जांच में लिखा गया है कि ''जांच की गई तो मित्रदास द्वारा जो फार्म भरा उसमें आराजी नं. 4043/1798 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा चाहा गया है। पी–14 2041 में इस पूरे खसरा नम्बर का रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा है। उस पर कब्जा श्री चतरसिंह पिता हरलाल सिंह राव का दर्ज कर रखा है। आश्रम का कोई इन्द्राज नहीं है'' यह रिपोर्ट दिनांक 26.06.85 की है। इसी पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट की है कि ''जांच में कब्जा आराजी नं. 4043/1798 श्री चतरसिंह पिता हरलाल सिंह 1/2 व श्री मित्रदास का 1/2 होना जाहिर किया है।'' दोनो की रिपोर्ट में ही भिन्नता है। जो आवंटन आदेश दिनांक 31.12.85 का जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कबीर सत्संग आश्रम व्यवस्थापक मित्रदास कबीर। जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट साबित होता है कि यह भूमि कबीर सत्संग आश्रम हेतु आवंटित की गई। कृषि भूमि आवंटन नियमों के तहत धार्मिक एवं परमार्थ उद्दश्यों के लिए आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। भूमि का आवंटन धार्मिक संस्थान को किए जाने से यथावत रहने योग्य नहीं है। विपक्षी सं. 1 द्वारा यह आवंटन मिसरिप्रजेनटेशन से प्राप्त किया गया है। विपक्षी द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन तथ्यों को छुपाकर करवाया गया है। आवंटन के पश्चात विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई, न ही भूमि को काबिल काश्त बनायी गयी। इस भूमि को विपक्षी सं.1 द्वारा विपक्षी सं. 2 व 3 को विक्रय कर दी गई। विपक्षी भूमिहीन काश्तकार नहीं रहा, ना वह सद्भावी काश्तकार है। उसका व्यवसाय आश्रम का रहा है, जिससे वह काश्तकारी की परिभाषा में नहीं आता है। विपक्षी सं. 2 व 3 द्वारा भी इस भूमि को

विपक्षी सं. 4 को विक्रय कर दी। विपक्षी सं. 4 द्वारा भी इस भूमि को विपक्षी सं. 5 से 8 को विक्रय कर दी।

इस प्रकार विवादित आराजी का आवंटन अपात्र व्यक्ति को किये जाने के कारण आवंटन आदेश प्रारम्भ से ही शून्य था। अधिवक्ता विपक्षी के हम इन कथनों से सहमत नहीं है कि विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार मिलने के उपरान्त आवंटन आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है। विभिन्न माननीय न्यायालयो द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि यदि आवंटन आदेश विधि विरूद्ध होतो आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त भी अविधिक आवंटन आदेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय का मत है कि विपक्षी संख्या 1 को भुमि का आवंटन राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आश्रम प्रयोजनार्थ किया गया है। इन नियमों के तहत इस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार करते हुए मौजा नाहरमगरा की आराजी नं. 4043/1798 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि विपक्षी सं. 1 के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 31.12.85 को खारिज करते हुए उक्त भूमि पुनः बिलानाम सरकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि वह मौजा नाहरमगरा की आराजी नं. 4043/1798 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज कर अपनी तहवील में लेवें एवं इस भूमि पर आवंटी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा हो तो नियमानुसार तत्काल प्रभाव से हटाया जावे।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी मावली एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार मावली को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2020.03.17 12:34:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: